न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 20/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/57

प्रार्थी :–

राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

1. लेम्पस सेनावासा, महीपाल सिंह व्यवस्थापक लेम्पस सेनवासा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाडा।
2. रमेश चन्द्र/ कानजी, सहायक व्यवस्थापक लेम्पस, सेनावासा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा।

उपस्थित – विभागीय पैरोकार

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 03–12–2025

प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जिला रसद अधिकारी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जन मांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सेनावासा के उपभोक्ताओं को नियमित राशन सामग्री वितरण नहीं करने पर दिनांक 23.11.2022 को सेनावासा के वितरण की जांच की गई। जांच में पाया गया कि लेम्पस सेनावासा द्वारा माह अक्टूबर 2022 में 426 उपभोक्ताओ को गेहूँ वितरण नहीं कर उन्हें गेहूँ से वंचित रखा गया। जबकि सरकार द्वारा माह अक्टूबर में तकनीकी समस्या से वितरण बाधित रहने के कारण माह अक्टूबर के वितरण की अंतिम तिथि 15.11.2022 तक बढ़ायी गई थी। गोदाम का भौतिक सत्यापन करने पर पोस मशीन में दर्ज 821.10 क्वि. गेहूँ की तुलना में मात्र 11.00 क्वि. गेहूँ ही मौके पर पाये गए। मौके पर पोस मशीन एवं स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए। मूल्य सूची व स्टॉक सूची बोर्ड रिक्त पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला रसद अधिकारी के आदेश क्रमांक [illegible] दिनांक 11.07.2006 द्वारा व्यवस्थापक लेम्पस सेनावासा को सेनावासा भाग–प्रथम के वितरण [illegible] हेतु अस्थाई रूप से अधिकृत किया गया है। लेम्पस सेनावासा को ग्राम पंचायत सेनावासा की प्र[illegible] एवं द्वितीय दोनो दुकानो [illegible]बायोमेट्रिक

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सत्यापन के लिए पोस मशीन डिवाईस नम्बर 1601143769 दिनांक 05.04.2016 को आवंटित की गई एवं ट्रान्जेक्शन के लिए कोड नम्बर 5982 आवंटित किया गया। माह सितम्बर 2016 से दिनांक 23.11.2022 को निलम्बित होने तक सेनावासा में राशन सामग्री का उठाव एवं वितरण लेम्पस सेनावासा के कार्मिको द्वारा किया गया।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 769 दिनांक 01.12.2021 द्वारा व्यवस्थापक लेम्पस सेनावासा को चड़ला भाग–द्वितीय के वितरण कार्य हेतु अस्थाई रूप से अधिकृत किया गया था। चड़ला भाग–द्वितीय के लिए पोस कोड नम्बर 5928 आवंटित किया गया है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 484–90 दिनांक 23.11.2022 द्वारा लेम्पस सेनावासा का प्राधिकार–पत्र अग्रिम आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया। साथ ही आदेश क्रमांक 491–99 दिनांक 23.11.2022 द्वारा सेनावासा के वितरण कार्य हेतु अमरथून भाग–प्रथम के डीलर व्यवस्थापक लेम्पस अमरथून को अस्थाई रूप से अधिकृत किया गया। व्यवस्थापक लेम्पस सेनावासा को निर्देशित किया गया कि वह अवशेष राशन सामग्री एवं पोस मशीन व्यवस्थापक लेम्पस अमरथून को सुपुर्द करे।

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 05.08.2016 द्वारा राशन सामग्री का वितरण रजिस्टर से न किया जाकर पोस मशीन से ही करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही जिला रसद अधिकारी महोदय के पत्र क्रमांक 986–88 दिनांक 28.09.2016 द्वारा भी राशन सामग्री का वितरण पोस मशीन से ही करने के निर्देश दिए गए है।

लेम्पस सेनावासा के व्यवस्थापक द्वारा कार्मिको की कमी के कारण चड़ला भाग–द्वितीय का वितरण कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 445–52 दिनांक 11.10.2022 द्वारा चड़ला भाग–द्वितीय पोस कोड़ नम्बर 5928 का वितरण कार्य लेम्पस सेनावासा से हटाकर देवदा भाग–द्वितीय के डीलर रतनलाल / देवचन्द को अस्थाई रूप से दिया गया। इस प्रकार चड़ला भाग–द्वितीय की उचित मूल्य की दुकान [illegible] लेम्पस सेनावासा द्वारा माह जनवरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

2022 से दिनांक 19.10.2022 तक वितरण कार्य किया गया। व्यवस्थापक लेम्पस सेनावासा को निर्देशित किया गया कि वह अवशेष राशन सामग्री एवं पोस मशीन रतनलाल/देवचन्द को सुपुर्द करे।

श्रीमान जिला रसद अधिकारी महोदय के पत्र क्रमांक 501 दिनांक 25.11.2022 द्वारा लेम्पस सेनावासा के वितरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। मेरे द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 22.02.2023 को प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार लेम्पस सेनावासा द्वारा माह अक्टूबर 2022 में 426 उपभोक्ताओ को गेहूँ उपलब्ध नहीं करवाकर उन्हें गेहूँ से वंचित रखा गया। साथ ही कुल 1030.11 क्वि. गेहूँ का गबन एवं दुरूपयोग किया गया।

ग्राम पंचायत सेनावासा एफपीएस कोड 5982 में माह सितम्बर 2016 से पोस मशीन द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर वितरण किया जा रहा है। दिनांक 31.07.2022 को सेनावासा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में 51.27 क्वि. गेहूँ अवशेष था। माह अगस्त 2022 से माह नवम्बर 2022 तक तक कुल 973.64 क्वि. गेहूँ थोक विक्रेता से उठाव किया गया। इस प्रकार लेम्पस के पास कुल 1024.91 क्वि. गेहूँ वितरण हेतु उपलब्ध था। लेम्पस सेनावासा द्वारा इस दौरान 592.40 क्वि. गेहूँ का वितरण किया गया। इस प्रकार 432.51 क्वि. गेहूँ स्टॉक में होना चाहिए। इस प्रकार माह अगस्त 2022 से नवम्बर 2022 तक लेम्पस द्वारा उपलब्ध गेहूँ की तुलना में 432.51 क्वि. गेहूँ कम वितरण किया गया।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत सेनावासा कोड नम्बर 5982 में दिनांक 30.06.2022 को लेम्पस के पास 56.87 क्वि. गेहूँ अवशेष था। माह जुलाई 2022 से नवम्बर 2022 तक 1078.85 क्वि. गेहूँ थोक विक्रेता से प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल 1135.72 क्वि. गेहूँ लेम्पस के पास वितरण हेतु उपलब्ध था। इस दौरान लेम्पस द्वारा 549.40 क्वि. गेहूँ का वितरण किया गया। बाद वितरण उसके पोस 586.32 क्वि. गेहूँ शेष होना चाहिए। इस प्रकार पीएमजीकेएवाय योजना में माह जुलाई 2022 से नवम्बर 2022 के दौरान लेम्पस द्वारा उपलब्ध गेहूँ की तुलना में 586.32 क्वि. गेहूँ कम वितरण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:42 IST
Reason: SelfAttested

लेम्पस सेनावासा का प्राधिकार-पत्र निलम्बित होने पर उसके पास ग्राम पंचायत सेनावासा पोस कोड नम्बर 5982 में एनएफएसए योजना का 43[illegible] क्वि. गेहूँ एवं पीएमजीकेएवाय का 586.32

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

क्वि. गेहूँ , कुल 1018.83 क्वि. गेहूँ अवशेष था, जिसका हस्तांतरण लेम्पस अमरथून को किया जाना था। परन्तु लेम्पस सेनावासा द्वारा 1018.83 क्वि. गेहूँ में से मात्र 296.04 क्वि. गेहूँ लेम्पस अमरथून को दिनांक 26.11.2022 को सुपुर्द किया एवं शेष 722.79 क्वि. गेहूँ एक माह में सौंपने का आश्वासन दिया, परन्तु दिनांक 08.02.2023 तक 722.79 क्वि. गेहूँ सुपुर्द नही कर उसका गबन एवं दुरूपयोग किया गया। उक्त 722.79 क्वि. गेहूँ में एनएफएसए का 374.15 क्वि. गेहूँ एवं पीएमजीकेएवाय का 348.64 क्वि. गेहूँ शामिल है।

चड़ला भाग–द्वितीय की उचित मूल्य की दुकान पर व्यवस्थापक लेम्पस सेनावासा द्वारा माह जनवरी 2022 से दिनांक 19.10.2022 तक वितरण कार्य किया गया। चड़ला भाग–द्वितीय के पूर्व अस्थाई उचित मूल्य दुकानदार हरदु/उंकार डीलर अमरथून भाग–द्वितीय द्वारा दिनांक 05.01.2022 को एनएफएसए में अवशेष 57.51 क्वि. गेहूँ लेम्पस सेनावासा को सुपुर्द किया गया। माह जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक लेम्पस सेनावासा द्वारा चड़ला भाग–द्वितीय के लिए 891.61 क्वि. गेहूँ थोक विक्रेता से प्राप्त किया। इस प्रकार कुल 949.12 क्वि. गेहूँ में से 722.25 क्वि. गेहूँ का वितरण उपभोक्ताओं को किया गया। शेष 226.87 क्वि. गेहूँ शेष रहता है, जो अस्थाई रूप से अधिकृत रतनलाल/देवचन्द डीलर देवदा भाग–द्वितीय को सुपुर्द करना था। परन्तु लेम्पस सेनावासा के कार्मिको द्वारा दिनांक 19.10.2022 को पोस मशीन रतनलाल को सोंपी गई परन्तु शेष 226.87 क्वि. गेहूँ सुपुर्द नहीं किया। उक्त गेहूँ एक माह में सुपुर्द करने का आश्वासान दिया। परन्तु दिनांक 01. 02.2023 तक सुपुर्द नहीं किया गया। इस प्रकार लेम्पस सेनावासा द्वारा चड़ला भाग–द्वितीय हेतु प्राप्त एनएफएसए योजना में उपलब्ध गेहूँ में से 226.87 क्वि. गेहूँ का कम वितरण किया गया एवं अवशेष 226.87 क्वि. गेहूँ रतनलाल/देवचन्द डीलर देवदा को सुपुर्द नहीं कर उसका गबन किया गया।

पीएमजीकेएवाय योजनान्तर्गत चड़ला भाग–द्वितीय पोस कोड 5928 हेतु माह दिसम्बर 2021 से सितम्बर 2022 तक कुल 761.01 क्वि. गेहूँ लेम्पस सेनावासा द्वारा थोक विक्रेता से उठाव किया गया। इसका वितरण माह जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक किया जाना था। लेम्पस सेनावासा द्वारा इस दौरान कुल 680.57 क्वि. गेहूँ का वितरण उपभोक्ताओं को किया गया। बाद वितरण 80.44

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:42 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर जिला बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

क्वि. गेहूँ शेष रहता है, जो रतनलाल/देवचन्द डीलर देवदा भाग–द्वितीय को सुपुर्द किया जाना था, परन्तु दिनांक 01.02.2023 तक सुपुर्द नहीं किया गया। इस प्रकार पीएमजीकेएवाय के 80.44 क्वि. गेहूँ का गबन किया गया।

चड़ला भाग–द्वितीय कोड नम्बर 5928 मे अवशेष एनएफएसए के 226.87 क्वि. गेहूँ एवं पीएमजीकेएवाय के 80.44 क्वि. गेहूँ, कुल 307.31 क्वि. गेहूँ सुपुर्द नहीं कर उसका गबन किया गया।

लेम्पस सेनावासा के कार्मिको द्वारा सेनावासा कोड नम्बर 5982 में एनएफएसए योजना के 374.15 क्वि. गेहूँ एवं पीएमजीकेएवाय के 348.64 क्वि. गेहूँ, कुल 722.79 क्वि. गेहूँ का गबन करने के साथ ही चड़ला भाग–द्वितीय कोड नम्बर 5928 में अवशेष एनएफएसए के 226.87 क्वि. गेहूँ एवं पीएमजीकेएवाय के 80.44 क्वि. गेहूँ, कुल 307.31 क्वि. गेहूँ का गबन किया गया। इस प्रकार कुल 1030.10 क्वि. गेहूँ का गबन एवं दुरूपयोग किया गया।

इस प्रकार लेम्पस सेनावासा के व्यवस्थापक महीपाल सिंह राठौड़ एवं सहायक व्यवस्थापक रमेशचन्द्र/कानजी द्वारा 1030.10 क्वि. गेहूँ अस्थाई रूप से अधिकृत उचित मूल्य दुकानदारो को सुपुर्द नहीं किया गया। उक्त गेहूँ लेम्पस के गोदामो में भी उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा 1030.10 क्वि. गेहूँ का गबन एवं दुरूपयोग किया गया है। साथ ही माह अक्टूबर 2022 में 426 उपभोक्ताओ को गेहूँ से वंचित रखा गया है, जो 'राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976' के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार–पत्र की शर्त संख्या 2. 5. 9. 10. 11 एवं 18 के साथ ही 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015' के खण्ड 10 (1), 11 (3) का उल्लंघन है। साथ ही आईपीसी की धारा 406 का भी उल्लंघन है। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस कारण लेम्पस सेनावासा के व्यवस्थापक महीपाल सिंह एवं सहायक व्यवस्थापक रमेशचन्द्र/कानजी के विरूद्ध पुलिस थाना घाटोल मे एफआईआर क्रमांक 0027 दिनांक 03.03.2023 को दर्ज करवाई गई है, साथ ही लेम्पस सेनावासा को ग्राम पंचायत सेनावासा भाग–द्वितीय के लिए जारी प्राधिकार–पत्र संख्या 1380/2006 को निरस्त कर दिया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:42 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त गबन किये गये 1030.10 क्विंटल गेहूँ की कीमत प्रति क्विंटल 2700/- की दर से राशि रूपया 2781270/- बनती है। उक्त राशि रूपया 2781270/- की वसूली लेम्पस सेनावासा, महीपाल सिंह राठौड़ व्यवस्थापक लेम्पस सेनावासा एवं रमेशचन्द्र/कानजी, सहायक व्यवस्थापक लेम्पस सेनावासा से की जानी हैं, जिसका निर्धारित प्रारूप में माँग पत्र फार्म नम्बर 1 इस पत्र के संलग्न भेज कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में पी०डी०आर० एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करवाया जाकर राशि वसूल किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र रुपया 27,81,270/- रु. वसूली का जारी किया गया। अप्रार्थी सं. 2 का नोटिस दिनांक 08.08.2024 को बाद तामील पेश हुआ। अप्रार्थी सं. 2 ने उपस्थित होकर अपनी ओर से श्री प्रभूलाल निनामा अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश किया। तत् पश्चात् आज दिनांक तक अप्रार्थी सं. 2 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। विभागीय पैरोकार द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के सन्दर्भ में सही पता उपलब्ध करवाये जाने पर दिनांक 09.10.2025 को जारी नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने पर डाक ट्रेक कन्साईन्मेंट रिपोर्ट अनुसार दिनांक 29.10.2025 को अप्रार्थी के पते पर पहुचा, किन्तु अप्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित रहा है। अतः आज दिनांक 03.12.2025 को अप्रार्थी सं. 2 का जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से एवं अप्रार्थी सं. 2 व उनके अधिवक्ता के नाम से बार-बार, रुक-रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई किन्तु अप्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपस्थित विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस विभागीय पैरोकार ने बहस में कथन किया कि लेम्पस सेनावासा के व्यवस्थापक महीपाल सिंह राठौड़ एवं सहायक व्यवस्थापक रमेशचन्द्र/कानजी द्वारा 1030.10 क्वि. गेहूँ अस्थाई रूप से अधिकृत उचित मूल्य दुकानदारो को सुपुर्द नहीं किया गया। उक्त गेहूँ लेम्पस के गोदामो में भी उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा 1030.10 क्वि. गेहूँ का गबन एवं दुरूपयोग किया गया है। साथ ही माह अक्टूबर 2022 में 426 उपभोक्ताओ को गेहूँ से वंचित रखा गया है, जो 'राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार-पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

की शर्त संख्या 2. 5. 9. 10. 11 एवं 18 के साथ ही 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015' के खण्ड 10 (1), 11 (3) का उल्लंघन है, साथ ही आईपीसी की धारा 406 का भी उल्लंघन है। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस कारण लेम्पस सेनावासा के व्यवस्थापक महीपाल सिंह एवं सहायक व्यवस्थापक रमेशचन्द्र/कानजी के विरूद्ध पुलिस थाना घाटोल मे एफआईआर क्रमांक 0027 दिनांक 03.03.2023 को दर्ज करवाई गई है।साथ ही लेम्पस सेनावासा को ग्राम पंचायत सेनावासा भाग-द्वितीय के लिए जारी प्राधिकार-पत्र संख्या 1380/2006 को निरस्त कर दिया गया है।

उक्त गबन किये गये 1030.10 क्विंटल गेहूँ की कीमत प्रति क्विंटल 2700/- की दर से राशि रूपया 2781270/- बनती है। उक्त राशि रूपया 2781270/- की वसूली लेम्पस सेनावासा, महीपाल सिंह राठौड़ व्यवस्थापक लेम्पस सेनावासा एवं रमेशचन्द्र/कानजी, सहायक व्यवस्थापक लेम्पस सेनावासा से की जानी है। निवेदन है कि उक्त प्रकरण में पी०डी०आर० एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करवाया जाकर राशि वसूल किये जाने के आदेश प्रदान करावें। पी०डी०आर० एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकृत फरमावे।

हमने विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा मौका जांच के दौरान भौतिक सत्यापन किये जाने पर लेम्पस सेनावासा के व्यवस्थापक महीपाल सिंह राठौड़ एवं सहायक व्यवस्थापक रमेशचन्द्र/कानजी द्वारा सेनावासा कोड नंबर 5982 में एन.एफ.एस.ए योजना के 374.15 क्विं., गेहूं एवं पी.एम.जी.के.ए.वाय. के 348.64 क्विं गेहूं, कुल 722.79 क्विं गेहूं गबन करने के साथ ही चडला भाग द्वितीय कोड नं. 5928 में अवशेष एन.एफ.एस.ए के 226.87 क्विं गेहूं एवं पी.एम.जी.के.वाय के 80.44 क्विं गेहूं कुल 307.31 क्विं गेहूं का गबन किया गया। इस प्रकार कुल 1030.10 क्विं गेहूं का गबन एवं दुरुपयोग किया गया है, साथ ही माह अक्टूबर 2022 में 426 उपभोक्ताओ को गेहूँ से वंचित रखा गया है। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर द्वारा 'राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976' के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार-पत्र की शर्त संख्या 2. 5. 9. 10. 11 एवं 18 के साथ ही 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

2015' के खण्ड 10 (1), 11 (3) का उल्लंघन किया है। उक्त अनियमितताऐं किये जाने पर अप्रार्थी लेम्पस सेनावासा को ग्राम पंचायत सेनावासा भाग–द्वितीय के लिए जारी प्राधिकार–पत्र संख्या 1380/2006 बाद सुनवाई दिनांक 21.03.2023 को निरस्त कर दिया गया है। अप्रार्थी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत पुलिस थाना घाटोल मे एफआईआर क्रमांक 0027 दिनांक 03.03.2023 को दर्ज करवाई गई है। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा उनके प्रकरण सं. 75/2022 में निर्णय दिनांक 21.03.2023 द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 1380/2006 निरस्त किया है।

अप्रार्थी लेम्पस सेनावासा, महीपाल सिंह व्यवस्थापक लेम्पस सेनावासा, तहसील घाटोल जिला बांसवाडा, रमेश चन्द्र पिता कानजी, सहायक व्यवस्थापक लेम्पस सेनावासा, तहसील घाटोल जिला बांसवाडा द्वारा द्वारा 1030.10 क्वि. गेहूँ का गबन एवं दुरूपयोग किया गया। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। इस प्रकार 1030.10 क्विं गेहूं की कीमत प्रति क्विंटल 2700/– की दर से राशि रूपया 27,81,270/– बनती है। उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी लेम्पस सेनावासा, महीपाल सिंह व्यवस्थापक लेम्पस सेनावासा, तहसील घाटोल जिला बांसवाडा, रमेश चन्द्र पिता कानजी, सहायक व्यवस्थापक लेम्पस सेनावासा, तहसील घाटोल जिला बांसवाडा से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत राशि विभाग अनुसार 27,81,270/– रु. अक्षरे सत्ताईस लाख इक्यासी हजार दो सौ सत्तर रुपया मात्र की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03–12–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.02.18 12:39:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner